

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|---|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 2231.42 | ... | 2231.42 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2580.34 | ... | 2580.34 |
| वसूलियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 2231.42 | ... | 2231.42 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2580.34 | ... | 2580.34 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 26.87 | ... | 26.87 | 32.31 | ... | 32.31 | 31.61 | ... | 31.61 | 32.31 | ... | 32.31 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास | 1239.10 | ... | 1239.10 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1474.97 | ... | 1474.97 |
| 3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास | 210.94 | ... | 210.94 | 249.24 | ... | 249.24 | 249.24 | ... | 249.24 | 280.20 | ... | 280.20 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 1450.04 | ... | 1450.04 | 1599.24 | ... | 1599.24 | 1599.24 | ... | 1599.24 | 1755.17 | ... | 1755.17 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 4. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता | 724.51 | ... | 724.51 | 748.98 | ... | 748.98 | 749.68 | ... | 749.68 | 761.86 | ... | 761.86 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | | | | | | | | | | | | |
| 5. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद | 30.00 | ... | 30.00 | 31.00 | ... | 31.00 | 31.00 | ... | 31.00 | 31.00 | ... | 31.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 754.51 | ... | 754.51 | 779.98 | ... | 779.98 | 780.68 | ... | 780.68 | 792.86 | ... | 792.86 |
| कुल जोड़ | 2231.42 | ... | 2231.42 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2580.34 | ... | 2580.34 |
| ख. विकासात्मक शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 2204.55 | ... | 2204.55 | 2219.29 | ... | 2219.29 | 2219.99 | ... | 2219.99 | 2372.51 | ... | 2372.51 |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 26.87 | ... | 26.87 | 32.31 | ... | 32.31 | 31.61 | ... | 31.61 | 32.31 | ... | 32.31 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 2231.42 | ... | 2231.42 | 2251.60 | ... | 2251.60 | 2251.60 | ... | 2251.60 | 2404.82 | ... | 2404.82 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 159.93 | ... | 159.93 | 159.93 | ... | 159.93 | 175.52 | ... | 175.52 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|-----------|--------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|-------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| जोड़-अन्य | ... | ... | ... | 159.93 | ... | 159.93 | 159.93 | ... | 159.93 | 175.52 | ... | 175.52 |
| कुल जोड़ | 2231.42 | ... | 2231.42 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2411.53 | ... | 2411.53 | 2580.34 | ... | 2580.34 |

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय आर्थिक सेवाएँ यह प्रावधान बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीवीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के अधीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना, बायोटेक सुविधाएं, उल्लेखिता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पहचान किए गए प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल हैं।

3. **औद्योगिक और उद्यमिता विकास:** वे स्कीमें जिनके लिए सहायता दी जाती है जिसमें सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम, बायोक्लस्टर और बायोटेक पार्क शामिल हैं।

4. **स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान नामतः (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली; ii) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव; v) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, संस्थान; xiii) स्टेम कोशिका विज्ञान एवं संजीवनी औषधि संस्थान, बेंगलुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली; और xvi) अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली है।

5. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद:** यह प्रावधान विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैसे लाभ के लिए काम नहीं कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए किया गया है।